

(आयोग की वेबसाइट, अर्थात् <https://ssc.gov.in> पर दिनांक 24.09.2025 को अपलोड करने हेतु)



भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
ब्लॉक स. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

Government of India,
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Staff Selection Commission,
Dept. of Training and Personnel,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

विज्ञप्ति

दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष परीक्षा, 2025

ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने की तिथि	24.09.2025 से 15.10.2025
ऑनलाइन आवेदनपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	15.10.2025 (23:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि और समय	16.10.2025(23:00 बजे)
'ऑनलाइन आवेदनपत्र में संशोधन हेतु विंडो' और सुधार राशि के ऑनलाइन भुगतान की तिथियां	23.10.2025 से 25.10.2025 (23:00 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम	दिसंबर, 2025/ जनवरी, 2026
ऑनलाइन आवेदनपत्र को भरते समय किसी प्रकार की समस्या होने पर कॉल हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर	180 030 930 63

फा.सं.-HQ-C-3021/1/2025-C-3: कर्मचारी चयन आयोग (क.च.आ.) और दिल्ली पुलिस के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी हिस्सों से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेश के अनुसार भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- 1.1 दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का विज्ञापन दिया जाएगा।
- 1.2 आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
- 1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।
- 1.4 कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट (अर्थात <https://ssc.gov.in>) पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु प्रवेश प्रमाणपत्र / प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे और प्रवेश प्रमाणपत्र / प्रवेश पत्र से संबंधित एक 'सूचना' दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाएगी।
- 1.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अर्हता की सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थियों को, प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुना के बराबर, शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण (पीई & एमटी) / ट्रेड परीक्षण में उपस्थित होने हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
- 1.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।
- 1.7 शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी) और ट्रेड परीक्षण का आयोजन और संचालन दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली में किया जाएगा।
- 1.8 शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी) और ट्रेड परीक्षण के आयोजन के पश्चात, दिल्ली पुलिस आगे की प्रक्रिया के लिए कर्मचारी चयन आयोग को पीई & एमटी और ट्रेड परीक्षण का परिणाम उपलब्ध कराएगी।
- 1.9 कांस्टेबल (ड्राइवर) का पद **बेंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) और महिला** अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- 1.10 अभ्यर्थियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाणपत्रों/ दस्तावेजों का संग्रह और मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा पीई & एमटी / ट्रेड परीक्षण के समय किया जाएगा।
- 1.11 आयोग द्वारा परीक्षा का अंतिम परिणाम अपनी वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा।
- 1.12 ऑनलाइन आवेदनों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई / लोक शिकायतों/ अभ्यावेदनों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.13 ऑनलाइन आवेदनों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने, पीई&एमटी, ट्रेड परीक्षण आयोजित करने में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने, अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम तैयार करने से संबंधित दिल्ली में अभ्यर्थियों द्वारा दायर अदालती मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों पर अन्य क्षेत्रों में दायर अदालती मामलों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

1.14 अन्य सभी मुद्दों, जैसे- परीक्षा की रूप-रेखा, रिक्तियों की संख्या, शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीईएंडएमटी), ट्रेड परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आदि से संबंधित अदालती मामलों / आरटीआई / लोक शिकायतों, अभ्यावेदनों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

2. **वेतन स्तर :** वेतन स्तर-3 (21700- 69100 रूपए) (समूह 'ग')

3. **रिक्तियां :** कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष के लिए अनंतिम रिक्तियां

श्रेणी	अना	आकव	अपिव	अजा	अजजा	कुल
खुली	316	66	153	72	47	654
भूपूसै	35	07	17	15	09	83
कुल	351	73	170	87	56	737

नोट: - रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। आयोग रिपोर्ट के अनुसार रिक्तियों को प्रकाशित करता है और कुल रिक्तियों, बैकलॉग रिक्तियों, विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत रिक्तियों के पृथक्करण के निर्धारण में इसकी कोई भूमिका नहीं है।

3.1 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा। रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।

3.2 दिल्ली पुलिस के स्थायी आदेशों के अनुसार, भारत सरकार की निर्देशानुसार, भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित रखी गई हैं ।

4. **राष्ट्रीयता / नागरिकता:** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4.1 **आयु सीमा:** दिनांक 01.07.2025 को 21 से 30 वर्ष । **अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 02-07-1995 से पहले और दिनांक 01-07-2004 के बाद न हुआ हो ।**

4.2 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा / ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/ अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक	ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई

		सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने आनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा /अजजा के अतिरिक्त) (खेलों की सूची अनुबंध IX पर है)।	05 वर्ष
09	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने आनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा /अजजा) (खेलों की सूची अनुबंध IX पर है)।	10 वर्ष
10	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित/आकव)जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो ।	आयु 40 वर्ष तक
11	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अपिव) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो ।	आयु 43 वर्ष तक
12	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अजा / अजजा) जिन्होंने अंतिम तिथि तक कम से कम 3 वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की हो ।	आयु 45 वर्ष तक

- 4.3 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई वही जन्म तिथि, जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई हो, आयोग/ दिल्ली पुलिस द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जाएगी और बाद में इसे बदलने के लिए किसी भी अनुवर्ती अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा जन्मतिथि के मेल न खाना अभ्यर्थिता की अस्वीकृति का आधार होगा।

- 4.4 दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के अजा /अजजा /अपिव / पहाड़ी क्षेत्र श्रेणियों के बच्चे दोहरी छूट पाने के हकदार नहीं होंगे। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के वार्ड के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- 4.5 ऊंचाई/सीने और शैक्षिक योग्यता से संबंधित छूट दिल्ली पुलिस के केवल उन्हीं कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों के लिए दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी/पद से हटाने/सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न दी गई हो।
- 4.6 "विभागीय अभ्यर्थी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन साल की निरंतर सेवा की है और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताओं को पूरा करता है।
- 4.7 भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, यदि उनका सेवामुक्ति प्रमाण पत्र पिछली सेवा को अच्छा या उससे उच्चतर / ग्रेडिंग के रूप में दर्शाता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर कांस्टेबल (ड्राइवर) के रूप में पुनः सूचीबद्ध होने के पात्र हैं, बशर्ते कि:
- 4.7.1 वे खुली प्रतियोगिता हेतु कांस्टेबल (ड्राइवर) के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हों और उन्होंने यथा-निर्धारित क्षमता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- 4.7.2 वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं।
- 4.8 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार (राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) के अधीन समूह 'ग'/ समूह 'घ' पदों पर पहले ही रोजगार हासिल कर लिया है, उन्हें उच्चतर ग्रेड या संवर्ग में समूह 'ग'/ समूह 'घ' पदों में अन्य रोजगार हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए यथा-निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिक संबंधी आरक्षण के लाभ के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक जब कोई सिविल रोजगार प्राप्त करने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कोई भी भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में कार्य ग्रहण करता है, उसे संबंधित नियोक्ता को उन सभी विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के तिथि-

वार विवरण के बारे में एक स्व-घोषणा / वचनबद्धता देनी चाहिए जिनके लिए उसने पहली नौकरी प्राप्त करने से पहले आवेदन किया था ।

- 4.9 सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा ।
- 4.10 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, उन्हें सेवावधि की निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- 4.11 ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अपने विभाग से एक अनापति प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होगा जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवा निर्मुक्ति की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा । सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होने की तिथि / सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि पूरी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए । ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा भी प्राप्त करना होगा।
- 4.12 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा ।
- 4.13 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र, पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है । अतः, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।
- 4.14 **स्पष्टीकरण:** एक 'भूतपूर्व सैनिक' से आशय उस व्यक्ति से है-
- 4.14.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- (i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो; अथवा

- (ii) जिसकी सेवा निवृत्ति की पुस्तिका में भूतपूर्व सैनिक पृष्ठांकित किया गया हो; अथवा
- (iii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; अथवा
- (iv) जिसे अपने अनुरोध पर सेवामुक्त न करके कर्मचारियों की कटौती के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो; अथवा
- (v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें निम्नलिखित श्रेणी के प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः
 - क. निरंतर मूर्त सेवा वाले पेंशनधारी;
 - ख. सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग हुए व्यक्ति
 - ग. वीरता पुरस्कार विजेता

4.14.2 प्रादेशिक सेनाओं के कार्मिकों को दिनांक 15.11.1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

5. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

- 5.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र (जहां कहीं निर्दिष्ट किया गया हो) में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र (पत्रों) को उस समय प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा, अजा / अजजा / अपिव / आकव आदि के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु में किसी अन्य छूट की मांग की है और वह प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी श्रेणी के मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन उसे उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अजा / अजजा / अपिव / आकव / अना आदि में माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
- 5.2 अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अपिव प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रतानुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त

करने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

5.3 आर्थिक कमजोर वर्ग (आकव) की श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले और आर्थिक कमजोर वर्ग (आकव) की श्रेणी में आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था.(निवास) के अनुकूल, **अनुबंध-VIII के अनुसार**, वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है जोकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी किया गया है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

5.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आकव श्रेणी में आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्णायक तिथि पर पात्रतानुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त पत्र करने की अंतिम तिथि होगी। "निर्णायक तिथि" का अर्थ है कि अभ्यर्थी उस तिथि तक प्रासंगिक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए; यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि को संदर्भित नहीं करता है।

6. अनिवार्य अर्हता (ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक)

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) आत्मविश्वास के साथ भारी वाहन चलाने में सक्षम होना चाहिए।

(ग) उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए (ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को)।

(घ) वाहन के रख-रखाव का ज्ञान होना चाहिए।

6.1 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि तक अनिवार्य योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षु लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत

विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तथापि, ऐसी डिग्रियों को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता दी हुई होनी चाहिए जब उक्त अभ्यर्थी द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो।

- 6.3 शारीरिक क्षमता और माप परीक्षण (पीई & एमटी) हेतु आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को दिनांक **ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि** को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के साक्ष्य के रूप में संगत प्रमाणपत्र, जैसे- अंकपत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी यह साबित करने में सक्षम होंगे कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले घोषित किया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया था, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता को पूरा करने में सक्षम माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम संबंधित बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक केवल परिणाम तैयार किया जाना शैक्षिक योग्यता (EQ) की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।

- 6.4 **एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन** : 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को प्रोत्साहन निम्नलिखित स्तरों पर दिया जाएगा:-

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

नोट: यह लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन/ पीई & एमटी के समय अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाणपत्र (सत्यापन के अध्यक्षीन) प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यह लाभ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

- 6.6 **अतिरिक्त अंकों का लाभ** : राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा जो निम्नलिखित मापकों पर होगा : -

डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी	दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक
विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 %
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4 %
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3 %
पास श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2 %

नोट : यह लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन/ पीई & एमटी के समय अपने दावों के समर्थन में मूल प्रमाणपत्र (सत्यापन के अध्यक्षीन) प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

7. आवेदन कैसे करें:

- 7.1 ऑनलाइन आवेदन पत्र को, कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट अर्थात <http://ssc.gov.in> द्वारा केवल ऑनलाइन माध्यम से अथवा 'mySSC' मोबाइल एप्लीकेशन (जोकि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) के माध्यम से ही जमा किया जाना चाहिए । विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-I और अनुबंध-II और साथ ही, आयोग वेबसाइट पर उपलब्ध मोबाइल एप से संबंधित दिनांक 02.06.2025 की सूचना का अवलोकन करें । एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र का नमूना प्रपत्र अनुबंध-I और अनुबंध- II के रूप में संलग्न है ।
- 7.2 ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि और समय **15.10.2025 (23:00 बजे)** है।
- 7.3 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पहले ही जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण, कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग इन करने में बाधा / अक्षमता या विफलता की संभावना से बचा जा सके। उपरोक्त कारणों से या आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा न कर पाने के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।
- 7.4 वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) सृजित नहीं किया है उन्हें ऐसा करना होगा। क्योंकि आयोग की पुरानी वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट के लिए कार्य नहीं करेगा । एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के पश्चात, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना

रहेगा। ओटीआर हेतु विस्तृत निर्देश के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के अनुबंध-1 और अनुबंध-1क का संदर्भ लें ।

7.5 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय **आधार आधारित प्रमाणीकरण** का विकल्प चुनें। **आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।** ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7.6 ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा करने हेतु अभ्यर्थी को अपनी पहले से ली गई फोटो रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की रियल-टाइम फोटो ली जा सके। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा तथा फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा:-

- (क) अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।
- (ख) फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
- (ग) अपने आप को कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।
- (घ) यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।
- (ङ) अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V(4/4) में दिए गए हैं ।

7.7 परीक्षा में शामिल होने के दौरान, अभ्यर्थी की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र की फोटो के अनुसार होनी चाहिए । अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो **साफ हो, टोपी या चश्मा न हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे** । ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्रों को जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है, **निरस्त कर दिया जाएगा** । किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई तस्वीर की फोटो नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। **तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।**

- 7.8 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनकी फोटो निर्देशों के अनुसार अपलोड की गई है। यदि फोटो निर्धारित प्रारूप/ आकार में अपलोड नहीं की जाती है, तो ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्रों / अभ्यर्थिता को अस्वीकार या रद्द कर दिया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- 7.9 अभ्यर्थी को जेपीईजी/ जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए अपने हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। **अनुपयुक्त फोटो युक्त और धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले और निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।** तथापि, अभ्यर्थियों के आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों को उपरोक्त आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- 7.10 ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) को जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्वावलोकन विकल्प देखना होगा कि उन्होंने उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्येक स्थान में सही जानकारी/ विवरण भरा है। उन्हें यह भी जांचना होगा कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) की एक प्रति अपने पास रखें।
- 7.11 अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को मूल दस्तावेजों के संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान सत्यापित किया जाएगा। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा उसके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी गलत/असत्य है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सही जानकारी भरी है।

8. ऑनलाइन आवेदन शुल्क और भुगतान का मोड:

- 8.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (एक सौ रुपए मात्र)।
- 8.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 8.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से, वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग कर किया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक **16.10.2025 (23:00 बजे)** तक किया जा सकता है।
- 8.4 एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किया जाएगा।

- 8.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से मुक्त नहीं रखा गया है, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्र जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें **सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा** और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
- 8.6 भुगतान लेनदेन से संबंधित कोई भी मामला /समस्या, अभ्यर्थी के लॉगिन पोर्टल पर फीडबैक के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।
9. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [23.10.2025 से 25.10.2025 तक (23:00 बजे)]:**
- 9.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र संबंधी प्राविष्टियों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 02 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र को फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- 9.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'ऑनलाइन आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' का उपयोग करने के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को फिर से जमा करने के लिए **दो बार** अनुमति दी जाएगी, अर्थात यदि उसने अपने अद्यतित ऑनलाइन आवेदन पत्र में भी गलती (गलतियां) की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 9.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।
- 9.4 लागू सुधार शुल्क की प्राप्ति के अध्यधीन, नवीनतम संशोधित/सही आवेदन पत्र को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) को निरस्त कर दिया जाएगा।

- 9.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एकसमान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो ।
- 9.6 यदि सुधार राशि क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी । ऐसा ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा पहले प्रस्तुत किया गया ऑनलाइन आवेदन पत्र ही वैध रहेगा।
- 9.7 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो या रुपये डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।
- 9.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- 9.8 संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

10. परीक्षा के केंद्र:

- 11.1 कर्मचारी चयन आयोग के नौ क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उनके क्षेत्राधिकार में स्थित परीक्षा केंद्रों (संभावित) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परीक्षा केंद्र तथा केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय और उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्रीय कार्यालयों / वेबसाइट का पता
1.	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010) मेरठ	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)/ बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केन्द्रीय सदन,

	(3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013), गया (3203).		प्रयागराज, -211 001. http://www.ssc-cr.org
2.	श्री विजयपुरम (4802), धनबाद (4206), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर गंजम (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), कल्याणी (4419), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कोलकाता/ हावड़ा (4410), सिलीगुड़ी (4415), बर्दवान (4422), दुर्गापुर (4426), सिउड़ी (4416), धंक्नाल (4611).	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 34/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 www.sscer.org
3.	बेलागवी (9002), बेंगलूरु(9001), हुबली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मेंगलुरु (9008), मैसूरु (9009), शिवमोगा (9010), उडूपी (9012), एरनाकुलम (9213), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), तिरुवनंतपुरम (9211), त्रिशूर (9212), कन्नूर (9202), कवरत्ती (9401).	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरु, कर्नाटक- 560034 www.ssckkr.kar.nic.in
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006) , जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), बिलासपुर (6202) , रायपुर (6204), दुर्ग भिलाई (6205).	मध्य प्रदेश (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, इनवेस्टमेंट बिल्डिंग, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 www.sscmpr.org
5.	ईटानगर (5001) , डिब्रूगढ़ (5102) , गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट (5107), सिलचर	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय,	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स,

	(5111), तेजपुर (5112), इम्फाल (5501), चूड़ाचांदपुर (5502), शिलांग (5401), आइजॉल (5701), दिमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601).	मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 www.sscner.org.in
6.	दिल्ली एनसीआर (2201), अजमेर (2401), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), सीकर (2411), उदयपुर (2409), देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), रुड़की (2006).	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 www.sscnr.nic.in
7.	चण्डीगढ़ (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), पटियाला (1403), लुधियाना (1405).	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन, सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.org
8.	गुंटूर (8001), काकीनाड़ा (8009), कर्नूल (8003), नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), एलुरु (8016), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), वेल्लोर (8208), हैदराबाद / सिकंदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603), आंगोल (8014), सिद्दीपेट (3206),	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना ।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 www.sscsr.gov.in

	तुतुकुड़ी (3210), करूर (3203).		
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद/ गांधीनगर (7001), आनंद (7011), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), छत्रपति संभाजी नगर (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7202), पुणे (7208),	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र - 400020 www.sscwr.net

10.2 अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु एक ही क्षेत्र के भीतर देश में कहीं भी प्राथमिकता के क्रम में तीन केंद्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केंद्र परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इन्हें ठीक से इंगित करना चाहिए।

10.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को यह अधिकार है कि उपरोक्त पैरा 10.1 में दी गई सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र को शामिल करे या उक्त सूची में से किसी वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी है।

11. परीक्षा की योजना:

11.1 परीक्षा में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:-

- कंप्यूटर आधारित परीक्षा,
- शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी) / दस्तावेज सत्यापन
- ट्रेड परीक्षण तथा
- संस्तुत अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा।

11.2 परीक्षा विजृप्ति में दर्शाई गई कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) की तिथियां अनंतिम हैं। सीबीई के कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को केवल आयोग की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

11.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यदि बहु पालियों में आयोजित की गई हैं, तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्तांकों को, आयोग द्वारा जारी इसकी विजृप्ति दिनांक 02.06.2025 में प्रकाशित सिद्धान्त के

प्रयोग से सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यकृत अंकों का प्रयोग अंतिम अर्हता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा ।

- 11.4 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

विषय		प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
भाग- क	सामान्य जानकारी	20	20	90 मिनट
भाग- ख	सामान्य बुद्धिमत्ता	20	20	
भाग- ग	संख्यात्मक क्षमता	10	10	
भाग- घ	रोड सेंस, वाहन रखरखाव, परिवहन नियम / सिग्नल वाहन और पर्यावरण प्रदूषण अर्थात पेट्रोल और डीजल वाहन, सीएनजी संचालित वाहन, ध्वनि प्रदूषण आदि।	50	50	
योग		100	100	

- 11.5 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।
- 11.6 कंप्यूटर आधारित परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी एवं हिंदी में आयोजित की जाएगी।
- 11.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के पश्चात अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी का अवलोकन कर सकते हैं और और यदि कोई अभ्यावेदन हो, तो आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रति प्रश्न रु. 50/- (पचास रुपये मात्र) का भुगतान करके, जोकि अप्रतिदेय है, केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम, जैसे- पत्र, आवेदन, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देने से पहले उत्तर कुंजियों से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा।

11.8 अंतिम उत्तर कुंजियों का उपयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम को तैयार करने के लिए किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी, अंक सहित आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध किए जाएंगे।

11.9 सी.बी.ई. के अंकों के पुनर्मूल्यांकन / पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.10 परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु आयोग परीक्षा के पश्चात व्यापक विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर, आयोग की नीति के अनुसार, कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।

11.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

11.11.1 **भाग-क: सामान्य जानकारी:** इस भाग के प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की उसके आसपास की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न, विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उन्हें किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

11.11.2 **भाग-ख: सामान्य बुद्धिमत्ता:** सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरूचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

11.11.3 **भाग-ग: संख्यात्मक क्षमता:** इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट,

क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

11.11.4 **भाग-घ:** रोड सेंस, वाहन रखरखाव, परिवहन नियम / सिग्नल साईनेज वाहन और पर्यावरण प्रदूषण अर्थात पेट्रोल और डीजल वाहन, सीएनजी संचालित वाहन, ध्वनि प्रदूषण आदि से संबंधित प्रश्न।

11.12 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न-पत्र 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

11.13 **पीई & एमटी में उपस्थित होने हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणाम की घोषणा:**

(I) कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी, अर्थात सामान्य/ अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव और भूतपूर्व सैनिक (श्रेणी-वार) में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के बीस (20) गुना के बराबर, कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अर्हता सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों को पीई & एमटी में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। यदि कट-ऑफ अंकों पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है, तो संबंधित श्रेणी के उस कट-ऑफ पर आने वाले सभी अभ्यर्थियों को पीई & एमटी के लिए बुलाया जाएगा।

(II) उपरोक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी, 35% अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, और 30% अंक प्राप्त करने वाले भूतपूर्व सैनिक, कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। यदि अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग प्रत्येक श्रेणी के लिए कुल मिलाकर प्राप्त न्यूनतम अंकों को पृथक्: रूप में कम कर सकता है।

11.14 **शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी):** शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी) के मानक निम्नलिखित हैं:-

11.15 **शारीरिक दक्षता परीक्षा:** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानक, भूतपूर्व सैनिक एवं विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित निम्नलिखित होंगे:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फीट (12'6")	3½ फीट (3'6")
30 से 40 वर्ष तक	08 मिनट	11½ फीट (11'6")	3¼ फीट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फीट (10'6")	3 फीट (3')

11.16 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में से किसी भी एक अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

11.17 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड के मानक:

11.17.1 शारीरिक माप परीक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की ली जाएगी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। शारीरिक मापदंड के मानक निम्नानुसार होंगे:

11.17.2 **ऊंचाई:** 170 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

11.17.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वालियों, कुमाऊंजी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुबंध-'XII'** पर संलग्न है।

11.17.2.2 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए।

11.17.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

11.17.3 **सीना:** 81 सेमी न्यूनतम 4 सेमी विस्तार के साथ (अर्थात् 81-85 सेमी), इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

11.17.3.1 उपरोक्त पैरा-11.17.2.1 पर सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए।

11.17.3.2 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए।

11.17.3.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

11.18 उपर्युक्त उल्लिखित ऊंचाई/सीने की माप में छूट (जो कुछ भी हो) सिर्फ पीई & एमटी के समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।

11.19 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात् ऊंचाई, और सीने के अनुसार योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र में नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय

अंतिम माना जाएगा और उसके बाद इस संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दौड़, लंबी कूद एवं ऊंची कूद में अनर्हता के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।

- 11.20 पीई & एमटी, ट्रेड परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षा की जिम्मेदारी केवल दिल्ली पुलिस की होगी। आयोग पीई & एमटी, ट्रेड परीक्षण एवं चिकित्सा परीक्षा के फैसले के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदन/सीपीग्राम्स को स्वीकार नहीं करेगा।

नोट:- यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा की शारीरिक क्षमता परीक्षा और माप परीक्षण (पीई & एमटी) में पहले भाग ले चुका है और दौड़, ऊंची कूद अथवा लंबी कूद जैसी किसी भी स्पर्धा में अयोग्य पाया गया है, तो उसका वही परिणाम अंतिम माना जाएगा। यदि कोई अयोग्य अभ्यर्थी अपनी पूर्व सहभागिता अथवा अयोग्यता गुप्त रख पुनः परीक्षा में शामिल होता है और बाद में उत्तीर्ण हो जाता है तो शारीरिक क्षमता परीक्षा का मूल परिणाम मान्य होगा।

11.21 ट्रेड परीक्षण (अर्हकारी)

शारीरिक दक्षता और मापदंड परीक्षा (पीई & एमटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षण के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा बुलाया जाएगा। पीई & एमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस को सत्यापित किया जाएगा, और केवल जिन अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाणिक पाए जाएंगे उन्हें ट्रेड परीक्षण के समय अभ्यर्थी वैध ड्राइविंग लाइसेंस (मूल) भी प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस जाली/नकली पाए जाएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- क) अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रामाणिकता का सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा "डिजिलॉकर" का उपयोग करके किया जाएगा।
- ख) यदि ड्राइविंग लाइसेंस विभिन्न परिवहन प्राधिकरणों से जारी किया जाता है, तो प्रारंभिक चरण से एचटीवी/एचएमवी (अनुमोदन) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डेटा/विवरण सभी संबंधित जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरणों से सत्यापित किया जाना चाहिए।
- ग) यदि ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा विवरण (प्रारंभिक चरण से एचटीवी/एचएमवी अंतिम अनुमोदन, जैसा लागू हो) "डिजिलॉकर" में या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो भारत सरकार, भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, दिल्ली डीसीपी/विशेष शाखा के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन करवाएगी।

11.21.1 ट्रेड परीक्षण 150 अंकों की होगी। ट्रेड परीक्षण में प्राप्त अंक अभ्यर्थी की योग्यता स्थिति का निर्धारण नहीं करेंगे क्योंकि यह अर्हक प्रकृति का है। तथापि, परिणाम के आगे की प्रक्रिया के उद्देश्य हेतु अभ्यर्थी को कम से कम न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। कोई भी अभ्यर्थी जो निम्नलिखित परीक्षाओं के किसी भी भाग में न्यूनतम अर्हक अंक हासिल नहीं करता है, उसे उस विशेष चरण से हटा दिया

जाएगा और उसे आगे की परीक्षा के चरण में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रेड परीक्षण में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे और बोर्ड प्रत्येक परीक्षा के अंक नीचे बताए अनुसार प्रदान करेगा: -

क्र.सं.	परीक्षा	कुल अंक	अर्हक अंक
(i)	ड्राइविंग (हल्के मोटर वाहन):- (क)ड्राइविंग (आगे)-(20 अंक) (ख) ड्राइविंग (पीछे)-20 अंक (ग) पार्किंग - (10 अंक)	50 अंक (प्रत्येक परीक्षा में 50% अर्थात क, ख एवं ग)	25 अंक
(ii)	ड्राइविंग (भारी मोटर वाहन):- (क)ड्राइविंग (आगे)-(20 अंक) (ख) ड्राइविंग (पीछे)-20 अंक (ग) पार्किंग - (10 अंक)	50 अंक (प्रत्येक परीक्षा में 50% अर्थात क, ख एवं ग)	25 अंक
(iii)	ट्राफिक चिन्हों का ज्ञान/ रोड सेंस/ सामान्य ड्राइविंग नियम जैसे लेन ड्राइविंग, आगे निकालने का तरीका, रोड-मैप पढ़ना, संभाव्य न्यूनतम रूट का आंकलन आदि (25 अंक)	25 अंक	12.5 अंक
(iv)	वाहन के रख-रखाव की जानकारी अर्थात टायर दबाव, बैटरी के पानी का स्तर, प्रयोग होने वाले ग्रेड ऑयल & उनकी मात्रा, क्लैट, होस पाईप/ बेल्ट का दबाव आदि। (25 अंक)	25 अंक	12.5 अंक

12. चिकित्सा मानक:

12.1 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई शारीरिक दोष/विकृति या बीमारी नहीं होनी चाहिए।

12.2 बेहतर दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के। बदतर आँख 6/12 बिना चश्मे के। अभ्यर्थी को वर्णान्धता से मुक्त होना चाहिए। कोई भी छुट की अनुमति/ स्वीकार्य नहीं है।

12.3 दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के समय-समय पर संशोधित नियम-17ए (XX) और नियम-24 (परिशिष्ट) में निर्धारित मानकों के अनुसार दिल्ली के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा चयनित/ शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस परीक्षा विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण

कराते हैं और जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तरों के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

- 13.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएगी। जांच किए जाने के समय यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए किसी भी दावे को सही नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग/ दिल्ली पुलिस का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र आयोग की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा की अद्यतन जानकारी और सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.gov.in>) को नियमित रूप से देखते रहें।
- 13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और अभ्यर्थी के परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक वेबसाइट पर अपना विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 13.6 प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा के आयोजन से लगभग 2-3 दिन पहले कर्मचारी चयन आयोग (मु.) की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण-पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।
- 13.7 जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय से कम से कम दो (2) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जिसमें विफल होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जैसे:

- 13.7.1 मतदाता पहचान-पत्र,
- 13.7.2 ड्राइविंग लाइसेंस,
- 13.7.3 पैन कार्ड,
- 13.7.4 पासपोर्ट,
- 13.7.5 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
- 13.7.6 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
- 13.7.7 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूव सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
- 13.7.8 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र

- 13.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **तथापि, उपरोक्त अनिवार्यताएं उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।**
- 13.9 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।
- 13.10 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की लाइव फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे फोटोयुक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा जिनमें फोटो निर्देशों के अनुसार नहीं ली गई है। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले ली गई फोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों जिनमें उनकी पहले की फोटो लगाई गई है, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। **तथापि, उपरोक्त अनिवार्यताएं उन अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगी जिन्होंने आधार आधारित प्रमाणीकरण करवाया है।**
- 13.11 दस्तावेज सत्यापन/पीई & एमटी एवं ट्रेड परीक्षण में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी वेबसाइट (अर्थात www.delhipolice.nic.in) पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पीई & एमटी / दस्तावेज सत्यापन और ट्रेड परीक्षण के संचालन के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

14 दस्तावेज सत्यापन (डीवी):

- 14.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और जो पीई & एमटी (अर्थात दौड़, लंबी/ ऊंची कूद और शारीरिक माप आदि) की सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ जैसा कि विज्ञप्ति के पैरा 14.3 में उल्लेख किया गया है, ट्रेड परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 14.2 दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को हाल की पासपोर्ट आकार की दो रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य जैसा की उपरोक्त पैरा 13.7 पर सूचीबद्ध किया गया है, लाना होगा।
- 14.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे:-
- 14.3.1 मैट्रिकलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र
- 14.3.2 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- 14.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्यां और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- 14.3.4 ड्राइविंग लाइसेंस जैसा कि विज्ञप्ति में उल्लिखित है।
- 14.3.5 जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं ।
- 14.3.6 पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र (अनुबंध-XII), अगर लागू हो।
- 14.3.7 भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) के लिए।
- 14.3.7.1 अनुबंध-III के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो।
- 14.3.7.2 अनुबंध-IV के अनुसार वचनबंध ।
- 14.3.7.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र
- 14.3.8 आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज।
- 14.3.9 दिल्ली पुलिस कर्मियों के आश्रितों को जारी किया गया आश्रित प्रमाण पत्र (अनुबंध-XIII), यदि लागू हो।
- 14.3.10 खेल प्रमाण पत्र (अनुबंध-X या XI), अगर लागू हो।
- 14.3.11 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र (अनुबंध-XIV), यदि लागू हो।
- 14.3.12 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

14.3.13 एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी, यदि लागू हो।

14.3.14 आरआरयू प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

14.3.15 पीई & एमटी / ट्रेड परीक्षण /डीवी के प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

15. **चयन का तरीका:**

15.1 इस भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी), दस्तावेज़ सत्यापन और ट्रेड परीक्षण के बाद अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

15.2 उन सभी अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु बुलाया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र सुव्यवस्थित पाए जाएंगे। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए केवल कम्प्यूटर आधारित माध्यम से परीक्षा का आयोजन करेगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र आयोग (मु.) के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

15.3 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी एवं हिंदी में ली जाएगी।

15.4 अभ्यर्थियों द्वारा नीचे उल्लिखित कट-ऑफ अंक (सामान्यीकृत) प्राप्त करने पर अगले चरण अर्थात पीई & एमटी के लिए शॉर्ट-लिस्ट करने के पात्रता पर विचार किया जाएगा:

15.4.1	अनारक्षित/ ईडब्ल्यूएस	:	40
15.4.2	अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.	:	35
15.4.3	भू.पू.सै.	:	30

15.5 पीई & एमटी में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर पीई & एमटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 20 गुना होगी।

15.6 पीई & एमटी के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी वेबसाइट (अर्थात <https://delhipolice.gov.in>) पर जारी किया जाएगा। पीई & एमटी का आयोजन केवल दिल्ली में किया जाएगा।

15.7 पीई & एमटी अनिवार्य परंतु अर्हक प्रकृति का होगा।

15.8 पीई & एमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।

- 15.9 पीई & एमटी की सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा पीई & एमटी के समय किया जाएगा।
- 15.10 पीई & एमटी, ट्रेड परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।
- 15.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची, प्रत्येक श्रेणी नामतः अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अलग से बनाई जाएगी।
- 15.12 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट के बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनके स्थान के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों में या उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों में, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो, समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।
- 15.13 अजा, अजजा, अपिव, ईडब्ल्यूएस तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात आयु सीमा, ऊँचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा विस्तारित एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाए न कि अनारक्षित रिक्तियों में। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए पूर्व सैनिकों की आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती अनुज्ञेय है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में छूट मानकों के रूप में कहा जाता है।
- 15.14 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के समय-समय पर संशोधित नियम-17 (XX) में निर्धारित मानकों के अनुसार दिल्ली के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।
- 15.15 15% अभ्यर्थियों का एक 'रिजर्व पैनल' भी बनाया जाएगा और दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफाफे में दिया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'रिजर्व पैनल' का संचालन और

अनुरक्षण दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/12/2025 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। रिजर्व पैनल/अतिरिक्त सूची का संचालन पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की ज़िम्मेदारी है। आयोग 'रिजर्व पैनल/ अतिरिक्त सूची' के रखरखाव के संबंध में किसी भी शिकायत/आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

- 15.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। यदि सत्यापन के समय, या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीई & एमटी एवं चिकित्सा जाँच से पहले अथवा बाद में साथ ही नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने/ सेवा में शामिल होने के बाद भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता/चयन रद्द कर दी जाएगी।
- 15.17 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 15.18 यदि परीक्षा के किसी भी पेपर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए ।
- 15.19 यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा से एक वर्ष की अवधि के भीतर उसे आयोग या दिल्ली पुलिस से कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तो उसे इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क करना होगा।
- 15.20 सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामलों का, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/ जांच लंबित/ न्यायालय में ट्रायल लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/12/2025 के प्रावधानों को देखते हुए कानून के तहत विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामलों को, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों के समाप्त होने तक लंबित रखा जाएगा और उनके मामलों का निर्णय मामलों को अंतिम रूप देने के बाद योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

16. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

16.1 यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के कुल प्राप्तांकों में बराबरी हो, तो ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

16.1.1 अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

16.1.2 यदि जन्मतिथि और कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंक भी समान हों, तो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम के वर्णानुक्रम के आधार पर मामले का निर्णय किया जाएगा।

17. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

17.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा :-

क्रम सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति आदि बाहर ले जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को देना।	01-02 वर्ष
2	निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने से पूर्व परीक्षा स्थल से बाहर जाना ।	01 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	02-03 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	03 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	01-03 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	03 वर्ष
7	परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ उपकरण, वायरलेस उपकरण, स्पाइ कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	03-05 वर्ष

8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	02-05 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	03 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	01-03 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	03-05 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना अथवा आग्नेय शस्त्रों /हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना/धमकाना या परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों जैसे- पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	07 वर्ष
13	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	07 वर्ष
14	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	07 वर्ष
15	स्नेपशॉट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री,लैब आदि का वीडियो बनाना।	07 वर्ष
16	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैप/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	07 वर्ष
17	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा-प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	07 वर्ष
18	वह अभ्यर्थी जो एक ही फोटो और विभिन्न वैयक्तिक विवरणों जैसे नाम, माता / पिता का नाम, जन्म तिथि आदि अथवा विलोमतः रूप से विभिन्न भर्तियों में आवेदन कर रहा है	01-05 वर्ष

17.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

18. आयोग का अंतिम निर्णय:

18.1 पात्रता, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन की पद्धति, परीक्षा (ओं) का आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची

तैयार करने, कदाचार में लिप्त होने पर वंचित किए जाने संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. न्यायालय का क्षेत्राधिकार:

19.1 इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

20. निरर्हता: कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बशर्ते केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू वैयक्तिक विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

21. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश:

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी: दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/ लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।
3.	अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाण पत्र में दर्ज किए गए अनुसार ही लिखनी होगी। यदि परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि दस्तावेज सत्यापन या किसी अन्य समय, नाम और जन्मतिथि में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
4.	वे सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की विज्ञप्ति के प्रत्युत्तर में आवेदन करना चाहते हैं

	जिन्होंने आयोग की नई वेबसाइट (https://ssc.gov.in) पर अपना एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) सृजित नहीं किया है उन्हें ऐसा करना होगा। क्योंकि आयोग की पुरानी वेबसाइट (https://ssc.nic.in) पर किया गया एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) नई वेबसाइट के लिए कार्य नहीं करेगा। एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के पश्चात, अभ्यर्थी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। एक बार नई वेबसाइट पर एकबारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने के बाद यह नई वेबसाइट पर आवेदन की जाने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वैध बना रहेगा। ओटीआर हेतु विस्तृत निर्देश इस विज्ञप्ति के अनुबंध-1 में दिए गए हैं।
5.	वर्तमान परीक्षा के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। तदनुसार, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे : (i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र, (iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश। (iv) फोटो। (v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।।
6.	दिल्ली पुलिस द्वारा पीई & एमटी / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और ट्रेड परीक्षण के समय अभ्यर्थियों से दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे और उनका सत्यापन किया जाएगा। इसलिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम रूप से जमा होने के पश्चात ही अभ्यर्थिता अनंतिम रूप से स्वीकृत की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले अनिवार्य अपेक्षित अर्हताओं, आयु, शारीरिक मानक आदि को ध्यान से पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पदों के लिए पात्र हैं। शारीरिक क्षमता एवं माप परीक्षण (पीई & एमटी) / दस्तावेज सत्यापन (डीवी) और ट्रेड परीक्षण के समय दस्तावेजों की जांच के दौरान, यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई भी दावा सही नहीं पाया जाता है,

	तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
7.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अजा/ अजजा/ अपिव/ आकव/ भूपूसै या किसी अन्य छूट हेतु उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी यह सुनिश्चित लें कि वे ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। पीई & एमटी /डीवी और ट्रेड परीक्षण के दौरान प्रमाण पत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए ।
8.	जब ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकार्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए । साधारणतः, 'ऑनलाइन आवेदन पत्र' का प्रिंट दिल्ली पुलिस/आयोग को जमा करने की जरूरत नहीं है।
9.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कराने की अनुमति है । इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में, आयोग द्वारा ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करता तथा परीक्षा (किसी भी स्तर पर) में एक से अधिक बार बैठता/ बैठती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
10	निर्देशों के अनुसार न होने वाले, अनुपयुक्त फोटोग्राफ या धुंधले/छोटे हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा । तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे।
11	आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास अपनी पहले से मौजूद फोटो होना आवश्यक नहीं है। ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल को ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरते समय ही अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है । अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ली गई फोटो साफ हो, टोपी या चश्मा के बिना हो और सामने से चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे । यदि खींची गई फोटो स्वीकार्य नमूने के अनुरूप नहीं है, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फोटो पुनः खींच लें। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थियों को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जहां उसकी पहले से मौजूद तस्वीर की फोटो खींची गई है, निरस्त कर दिए जाएंगे। परीक्षा में अभ्यर्थी की उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई फोटो अनुसार ही होनी चाहिए ।

	स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V(4/4) दिए गए हैं। अपनी फोटो खींचने के लिए, अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना/बैठना होगा और निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: 1. अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें । 2. फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है । 3. अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें । 4. यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए । 5. अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए। 6. अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (10 से 20केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधले/ लघु हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर रद्द नहीं किए जाएंगे ।
12	ऑनलाइन आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के लिए अनुरोध (आयोग द्वारा प्रदान की गई 'ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधार हेतु विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद) एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद, किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13	अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपना सही तथा सक्रिय ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर दें क्योंकि दिल्ली पुलिस/आयोग द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जा सकता है । बाद में मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि अभ्यर्थियों को सूचना भेजने के प्रयास आयोग द्वारा किए जाते हैं, तथापि आयोग एसएमएस/ई-मेल/डाक आदि के माध्यम से भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं/ चरणों/ तिथियों के बारे में अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने के लिए बाध्य नहीं है। आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए सूचना का प्राथमिक स्रोत है और कोई भी अभ्यर्थी इस आधार पर इस एवज में दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी भी प्रक्रिया के बारे में ई-मेल/एसएमएस आदि के माध्यम से

	व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में अद्यतन जानकारी के लिए आयोग/ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।
14	जिन अभ्यर्थियों ने आधार आधारित प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा के निर्धारित समय से दो (02) घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वह जन्म तिथि अंकित हो जोकि प्रवेश-पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे: - डाइविंग लाइसेंस, - पैन कार्ड, - पासपोर्ट, - विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र - नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम) - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका - केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/ आईसीएसई/ राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15	उपरोक्त परीक्षा हेतु कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु अपना प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा
16	आयोग, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) संबंधी मापदंडों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को दो (02) दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा-09 में दिए गए विवरणानुसार, निर्धारित सुधार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र को वैध माना

	जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए पिछले ऑनलाइन आवेदन पत्र (पत्रों) को नज़रअंदाज़ कर दिया जाएगा।
17	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांच लेना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित / अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र सुधार हेतु विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
18	अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे परीक्षा की तिथि, रिक्ति स्थिति आदि से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की नई वेबसाइट अर्थात् https://ssc.gov.in के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को भी नियमित रूप से देखते रहें।
19	परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों का छद्मरूप धारण करने का प्रयास करने वाले लोगों के उदाहरण देखे गए हैं। चूंकि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय तस्वीर लाइव खींची जाती है, इसलिए परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति में ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर से अलग कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। परीक्षा स्थल के कर्मचारियों को किसी भी संदिग्ध अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा के दिन उनकी उपस्थिति ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार हो। किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें नहीं खींचनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें उनकी पहले से मौजूद तस्वीर की तस्वीरें खींची गई हों, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।
20	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
21	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर / अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में अभ्यावेदन जमा

	करना चाहिए।
22	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसे दिल्ली पुलिस से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल दिल्ली पुलिस विभाग से संपर्क करना चाहिए ।
23	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। आरक्षण के पात्र अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक (भूसै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है ।
24	अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे एक पुलिस बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और इसलिए वे चयन प्रक्रिया में शारीरिक/मानसिक तौर पर पूर्णतः तैयार होकर भाग लें और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/ दुर्घटना के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी अप्रत्याशित घटना/ दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। अभ्यर्थी अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर भर्ती में भाग लेंगे।
25	यदि कोई अभ्यर्थी लंबाई का लाभ प्राप्त करने के लिए जानबूझकर अपने सिर पर चोट (उभार/ फूलना) लगा लेता है अथवा अम्लिका (टेमारिन्ड) रख लेता है, तो उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से वारित कर दिया जाएगा।
26	पीई & एमटी के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी ओजस्वी दवा के सेवन से प्रभावित पाया जाता है तो उसे भर्ती के आगे की प्रक्रिया हेतु बाहर कर दिया जाएगा।
27	शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए हर केंद्र पर अपीलीय प्राधिकारी उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई अभ्यर्थी बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट/ या सहमत नहीं होता है तो वह पीठासीन अधिकारी के माध्यम से संबंधित भर्ती केंद्र पर उसी दिन अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकता/ सकती हैं। इस संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और उसके बाद आगे किसी भी अपील या प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती हैं।
28	आवेदन पत्र के अंत में दिए गए घोषणा-पत्र पर विशेष ध्यान दें। घोषणा-पत्र पर सहमति/हस्ताक्षर करने से पहले, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरण और घोषणापत्र की विषय-वस्तु को ध्यान से पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद ही सहमति/हस्ताक्षर करना चाहिए कि दी गई जानकारी सही है। किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने/गलत बयानी/गलत घोषणा करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
29	परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग विस्तृत परीक्षा के पश्चात विश्लेषण करता है। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटो और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जांच शामिल है। परीक्षा

	के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों पर, आयोग की नीति के अनुसार, कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता रद्द करना और भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वारित करना भी शामिल है।
30	<u>पूछताछ कक्ष</u> पीई & एमटी , डीवी, ट्रेड परीक्षण, मेडिकल परीक्षा और नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस भर्ती कक्ष सहायता डेस्क, भर्ती कक्ष, न्यू पुलिस लाइन, किंगसवे कैम्प, दिल्ली-110009 पर और निम्न दूरभाष नंबरों पर रविवार और राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 09.30 से शाम 06.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं:- 011-27412715, 011-27241205, 011-27241206

अवर सचिव, भारत सरकार

24.09.2025

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- (क) एक बारगी पंजीकरण
- (ख) परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग-क (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'एक-बारगी पंजीकरण प्रपत्र' और 'ऑनलाइन आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार अपनी ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आधार आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प चुनें। आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय परीक्षा स्थल में प्रवेश हेतु हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, मूल रूप में वैध फोटो-पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
3. वर्तमान परीक्षा के लिए आधार पर आधारित प्रमाणीकरण लागू किया गया है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय, एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) करने पर सभी अभ्यर्थियों के पास स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग करने का विकल्प होगा। वे अभ्यर्थी जो आधार पर आधारित प्रणाली द्वारा स्वयं को प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अपने एक बारगी पंजीकरण (ओटीआर) को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
4. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं / दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार कार्ड संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरण में मूल दस्तावेज को उपलब्ध कराना होगा।)

- i. वोटर आईडी कार्ड
- ii. पैन
- iii. पासपोर्ट
- iv. ड्राइविंग लाइसेंस
- v. स्कूल/कॉलेज आई डी
- vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
- घ. परीक्षा बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।

5. एक बारगी पंजीकरण के लिए, आयोग की नई वेबसाइट अर्थात <http://ssc.gov.in> पर दिए गए 'Login or Register' बटन पर क्लिक करें।

6. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:

- क. व्यक्तिगत विवरण
- ख. पासवर्ड बनाना
- ग. अतिरिक्त विवरण
- घ. घोषणा ।

7. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात, आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा फील्ड (कॉलम) मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें । यदि आपके पास आधार संख्या नहीं है तो आपको निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:-

(i) नाम के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, सरकारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज

(ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु नामतः जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र,

(iii) पते के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आवेदक की सत्यापित फोटो के साथ बैंक स्टेटमेंट, रेंट ऐग्रीमेंट, आयकर असेसमेंट आदेश ।

(iv) फोटो।

(v) लिंग के प्रमाण हेतु नामतः मतदाता पहचान पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र।

ग. क्रम संख्या- 2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

घ. क्रम संख्या- 3: यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 3क और 3ख में करें।

ङ. क्रम संख्या- 4: अपना लिंग बताएं (पुरुष/महिला)।

च. क्रम संख्या- 5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या- 6: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ज. क्रम संख्या- 7: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

झ. क्रम संख्या-8 से क्रम संख्या-10: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:

- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
- ii. रोल नंबर
- iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ञ. क्रम संख्या- 11: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ट. क्रम संख्या- 12: आपका मोबाइल नंबर । यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ठ. क्रम संख्या- 13: आपका ईमेल आईडी । यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेलआईडी पर भेजी जाएगी । यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड / पजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ड. अपने स्थायी पते के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विवरण दें ।

द. जब क्रम संख्या 1 से 13 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज जाएगा और पंजीकरण संख्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपकी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ण. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

त. अपनी पंजीकृत संख्या को उपयोगकर्ता नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें।

पासवर्ड बनाना

थ. पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

द. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

ध. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'Next' बटन को क्लिक करके अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढ़ें।

अतिरिक्त विवरण

न. क्रम संख्या- 1: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

प. क्रम संख्या- 2: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें।

फ. क्रम संख्या- 3: यदि आप भारतीय नागरिक के अलावा कोई अन्य हैं तो कृपया संपर्क विवरण प्रदान करें।

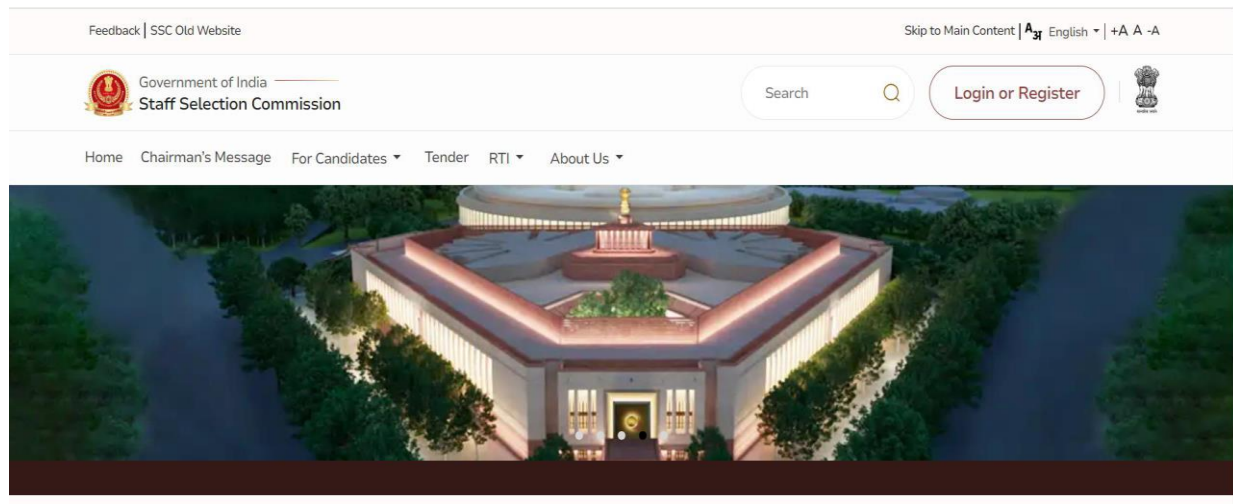
ब. क्रम संख्या- 4: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

भ. क्रम संख्या- 5: कृपया यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

म. क्रम संख्या- 6 से 7: अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डाटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

- य. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रीव्यू का प्रिंट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- र. 'Declaration' को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- ल. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- व. मूलभूत सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
8. आप अपने एक बारगी पंजीकरण (OTR) के डाटा को संपादित/ संशोधित नहीं कर सकते, आपको एक बारगी पंजीकरण में जानकारी भरते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए । गलत/त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण आपकी अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है ।
9. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन (10वीं कक्षा) प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एकबारगी पंजीकरण के स्क्रीनशॉट्स



Candidate

Admin

Username (Registration Number) *

Registration Number

Password (SSC Registration Password) *

.....

Forgot Password

B8gBq

Refresh

Captcha *

Captcha

Login

New User ? Register Now

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)

 **Government of India**
Staff Selection Commission

[Login or Register](#)



[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

New Candidate

One Time Registration

**Personal Details**
Candidate's Name,
Identification, Contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's
Nationality, Address,
Education

**Declaration**
Candidate's Details,
Confirmation

Note
Candidates must be very cautious while filling up One Time Registration (OTR) details. Your candidature may get cancelled in case incorrect or wrong information is furnished.

[Continue](#)

 **Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful links
[Archives](#)
[Disclaimer](#)
[Sitemap](#)
[Help](#)
[Website Policies](#)
[Web Information Manager](#)

Contact Us
 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register



1. Personal Details
Candidate's name, identification, contact

2. Password Creation
Create New Password

3. Additional Details
Candidate's nationality, address, education

4. Declaration
Candidate's details confirmation

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *

☒ Yes ☐ No

1.1. Enter Your Aadhaar Details (UID / VID) *

e.g. 525263527262

Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card.

a. Verify Aadhaar Details (UID / VID) *

e.g. K16K16K77163

☐ I consent to the use of my Aadhaar data for authentication purposes by SSC. I understand that the authentication will be done using my Aadhaar number or biometric data and that my information will be processed and stored securely. I acknowledge that I have read and understood the Privacy Policy and Terms of Service of SSC.

Send OTP

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (e.g. Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *

☐ Yes ☒ No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (e.g. Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (e.g. Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

(1) Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

(2) Only / and / are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).

(3) If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note : At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended
Willing Candidates

Useful Links

Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

47 | पृष्ठ

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission

Search

Login or Register



Personal Details

Candidate's name, identification, contact

Password Creation

Create New Password

Additional Details

Candidate's nationality, address, education

Declaration

Candidate's details confirmation

Homepage

> One Time Registration

One Time Registration

Personal Details

1. Do you have a Aadhaar Card ? *

☐ Yes
☒ No

3.1. Documents *

Please Upload Name Proof (Aadhaar card, Voter ID card, PAN card, Driving License, Government ID card, Government service identity card, Pension document.)

Choose File | No file chosen

Please Upload DOB Proof (Birth certificate, School leaving certificate, Certificate of date of birth issued by a Gazetted officer, Aadhar card)

Choose File | No file chosen

Please Upload Address Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Driving License, A bank statement with an attested photograph of the applicant, Rent agreement, Income tax assessment order.)

Choose File | No file chosen

Please Upload Photo

Choose File | No file chosen

Please Upload Gender Proof (Aadhaar card, Voter ID card, Birth certificate, School leaving certificate.)

Choose File | No file chosen

2. Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

1. Candidate Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/Ms/Mr/Ms/Mr/Ms Do Prof).

a. Verify Candidate Name (As per Matriculation Certificate) *

3. Have you ever changed Name ? *

☐ Yes
☒ No

a. New Name / Changed Name

b. Verify New Name/Changed Name

4. Gender *

Select

a. Verify Gender *

Select

5. Date Of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

Data of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

a. Verify Date of Birth (DD-MM-YYYY) *

dd-mm-yyyy

6. Father's Name *

1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/Ms/Mr/Ms/Mr/Ms Do Prof etc).

a. Verify Father's Name *

7. Mother's Name *

1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Please enter name without any salutation (i.e. Mr/Ms/Mr/Ms/Mr/Ms Do Prof etc).

a. Verify Mother's Name *

8. Matriculation (10th class) Education Board *

Select

Education Board of Matriculation Examination.

a. Verify Matriculation (10th class) Education Board *

Select

9. Roll Number *

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate.

2. Only / and - are allowed. Please enter Roll number without any other special character(s).

3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

a. Verify Roll Number *

10. Year of Passing *

Select

a. Verify Year of Passing *

Select

11. Highest Level of Education Qualification *

Select

a. Verify Highest Level of Education Qualification *

Select

12. Candidate's Mobile Number *

OTP for verification will be sent to this mobile number

13. Candidate's Email ID *

OTP for verification will be sent to this Email ID

Note: At least one of mobile or email OTP validation is required to proceed further.

Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended

Willing Candidates

Useful links

Archives

Disclaimer

Grievance

Help

Website Policies

Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road

New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 12462362

Last updated on Feb 13, 2024

48 | पृष्ठ

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)

 **Government of India**
Staff Selection Commission

[Login or Register](#)



[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

**Personal Details**
Candidate's name, identification, contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's nationality, address, education

**Declaration**
Candidate's details confirmation

Your Registration Number
10000000459

Note

1. Basic details are saved. Registration is partial and it should be completed within 30 days failing which your data would be automatically deleted.
2. Registration number and One Time Password is shared on your mobile number and email id. Use it to sign in to your account.
3. To complete registration process, click "continue" to set a new password.

Continue

 **Staff Selection Commission**

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- [Archives](#)
- [Disclaimer](#)
- [Sitemap](#)
- [Help](#)
- [Website Policies](#)
- [Web Information Manager](#)

Contact Us

-  Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

49 | पृष्ठ

Feedback | SSC Old Website
Government of India
Staff Selection Commission

Personal Details
Candidate's name, identification, contact

Password Creation
Create New Password

Additional Details
Candidate's nationality, address, education

Declaration
Candidate's details confirmation

Homepage > One Time Registration

Dear Candidate, This is Your First Login !
Please Set a New Password

Registration Number *
10000000459

Old Password *

New Password *

Please Enter a Valid Password.

Note

- Password must be minimum 8 characters
- Include one or more uppercase letters
- Include one or more lowercase letters
- Include one or more number
- Include one or more special character
- Password must not contain spaces or tabs
- Password must not exceed 25 characters
- Use only allowed special characters: @ # \$ % ^ & + = ! * ? _ -
- Password must not contain repeated characters (e.g., aaa, 1111)
- Password must not be all numbers
- Password must not be all alphabets

Confirm Password *

Security Questions

Note

- Security Questions allow you to regain entry to your account if you have forgotten your password and no longer have access to the email or Mobile number associated with your account.

Security Question: 1 *
Select

Answer *

Security Question: 2 *
Select

Answer *

Reset Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

- Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

50 | पृष्ठ

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

One Time Registration

← Homepage > One Time Registration

One Time Registration
Additional Details

1. Category *

EWS

a. Verify Category *

EWS

2. Nationality *

Citizen of India

3. Contact Details For Other Nationals

4. Visible Identification Marks *

MOLE ON NOSE

5. Are you Person With Benchmark Disability (PwBD)? *

☐ Yes ☒ No

a. Type of Disability

Note
VH : Blindness and Low vision
HH : Deaf and hard of hearing
OH : Locomotor disability, including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack, victims, & muscular dystrophy
Others : Autism, intellectual disability, specific learning disability & mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

b. Disability Certificate Number

6. Permanent Address *

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

7. Is Present Address same as Permanent Address? *

☐ Yes ☒ No

a. Address *

b. State/UT *

Select

c. District *

Select

d. Pin Code *

Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

[Feedback](#) | [SSC Old Website](#)

Government of India
Staff Selection Commission

[← Homepage](#) > [One Time Registration](#)

**Personal Details**
Candidate's name, identification, contact

**Password Creation**
Create New Password

**Additional Details**
Candidate's nationality, address, education

**Declaration**
Candidate's details confirmation

One Time Registration Declaration

1. I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief.

2. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/terminated.

☐ I Agree for the above Terms & Conditions

[Preview OTR](#) [Declare](#)

**Staff Selection Commission**

[Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates](#)

Useful links

- [Archives](#)
- [Disclaimer](#)
- [Sitemap](#)
- [Help](#)
- [Website Policies](#)
- [Web Information Manager](#)

Contact Us

 Block No-12, CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124582382

Last updated on Feb 13, 2024

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित सामग्री/विवरण/डाटा तैयार रखें:

(क) एप्लिकेशन माड्यूल को आवेदन-पत्र भरने वाले अभ्यर्थी की फोटो खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खींची गई फोटो स्पष्ट हो, बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए हो और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने **अनुबंध-V** में दिए गए हैं। यदि खींची गई फोटो स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह पुनः फोटो खींचे। स्वीकृत नमूने के अनुरूप न होने वाले फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवेदन पत्र में दी गई तस्वीर के अनुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे लाइव फोटो खींचते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें:

- (i). अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें।
- (ii). फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है।
- (iii). अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें।
- (iv). यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो। यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए।
- (v). अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

जो अभ्यर्थी कैमरे के माध्यम से अपनी फोटो खींचने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से फोटो खींचने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल फोन हेतु प्ले स्टोर से ऐप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए **ऑनलाइन आवेदन** माड्यूल के Upload ऑनलाइन आवेदन माड्यूल के 'Upload Photograph and Singature' खंड में दिए गए क्यूआर(QR) कोड का उपयोग करें। फोटो बिना टोपी पहने, बिना चश्मा लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का भाग दिखाई देना चाहिए। जिन ऑनलाइन आवेदन पत्रों में फोटो स्वीकृत नमूने (**अनुबंध-V**) के अनुरूप नहीं होंगी, उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने (**अनुबंध-V**) में दिए गए हैं।

(ख) जेपीईजी/जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धुंधले /अपठनीय हस्ताक्षर वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे।

तथापि, आधार प्रमाणीकरण का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे कि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड की गई फोटो और/या हस्ताक्षर निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं हैं।

2. अपनी 'पंजीकरण संख्या' और 'पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'लाइव परीक्षा' टैब के अंतर्गत खंड 'Constable (Driver)-Male in Delhi Police Examination, 2025' में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं. 1 से 18 कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।
5. क्रम सं. 19: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
6. क्रम सं. 20 से 20.7 : अर्हक शैक्षणिक योग्यता का विवरण दें।
 - क्रम सं.- 20.1: शैक्षणिक अर्हता (EQ) की स्थिति
 - क्रम सं.- 20.2: उत्तीर्ण होने का वर्ष
 - क्रम सं.- 20.3: बोर्ड का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
 - क्रम सं.- 20.4: बोर्ड का नाम
 - क्रम सं.- 20.5: अनुक्रमांक संख्या
 - क्रम सं.- 20.6: प्रतिशत
 - क्रम सं.- 20.7: सीजीपीए
7. क्रम संख्या 21 से 21.3 : क्या आपके पास वैध हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस है? यदि हाँ, तो क्रम सं. 21.1 से 21.3 में लाइसेंस का विवरण प्रदान करें। (विज्ञप्ति के पैरा 6 का संदर्भ लें)
8. क्रम संख्या 22: यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी अंतर्गत किसी जाति से संबंधित हैं तो 'Yes' का चयन करें। यह छूट केंद्रीय सूची और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी सूची में अधिसूचित जातियों के लिए मान्य है (विज्ञप्ति का पैरा 5.2 देखें)।
9. क्रम संख्या 23 से 23.4: यदि आप एक भूतपूर्व सैनिक (ESM) हैं या सशस्त्र बलों में सेवारत हैं, तो बिंदु सं. 23 से 23.4 तक आवश्यक जानकारी भरें (विज्ञप्ति का पैरा 4.8 देखें)।

टिप्पणी: भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई विशेष कोटा नहीं है।

10. क्रम सं. 24 : यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 4.6 देखें)।
11. क्रम सं. 25 : यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिक/मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र/ पुत्री हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 4.4 देखें)।
12. क्रम सं. 26 : यदि आपने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेल में, अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अथवा किसी राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति का पैरा 4.2 देखें)।
13. क्रम सं. 26.1 : यदि 'हां' तो अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें (विज्ञप्ति का अनुबंध-IX देखें)।
14. क्रम सं. 27 से 27.1 : यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट के उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (परीक्षा विज्ञप्ति का पैरा 4.2 देखें)।
15. क्रम सं. 28 : परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने के लिए, आप वरीयता के क्रम में, तीन परीक्षा केंद्र (देश भर में कहीं भी) चुन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 10 का संदर्भ लें।
16. क्रम सं. 29 : क्या आप एनसीसी प्रमाण-पत्र धारक हैं? यदि हां, तो एनसीसी प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 6.4 का संदर्भ लें)।
17. क्रम सं. 30 से 30.1 : क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदत्त डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र है? यदि हां, तो डिग्री/प्रमाणपत्र का विवरण प्रदान करें (नोटिस के पैरा 6.5 का संदर्भ लें)।

फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें (हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्देश अनुबंध-V में दिए गए हैं):-

18. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार बिना चश्मे / टोपी के अपना लाइव फोटोग्राफ अपलोड करें:

- (क). अच्छी रोशनी और सादी पृष्ठभूमि वाला स्थान चुनें ।
- (ख). फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आंखों के स्तर पर है ।
- (ग). अपने आप को सीधे कैमरे के सामने रखें और सीधे सामने देखें ।

(घ). यह सुनिश्चित करें कि चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के अंदर पूरी तरह समाहित हो और न तो यह बहुत करीब हो और न ही बहुत दूर हो । यह इस स्थान को पूरी तरह कवर करे और चेहरे का कोई भी भाग इस निर्धारित स्थान से बाहर नहीं होना चाहिए ।

(ङ). अभ्यर्थियों को फोटो लेते समय टोपी, मास्क या धूप का चश्मा/नज़र का चश्मा नहीं पहनना चाहिए।

(च). किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को अपनी पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे सभी ऑनलाइन आवेदन पत्र जिनमें अभ्यर्थी की पहले से मौजूद तस्वीरों की तस्वीरें ली गई हैं, अस्वीकार कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(छ). फोटो खींचते समय ईयरफोन या कोई भी उपकरण न पहनें।

19. नीचे दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने हस्ताक्षर अपलोड करें :-

क. स्वीकृत छवि आकार: जेपीजी /जेपीईजी प्रारूप में 10 केबी से 20 केबी तक।

ख. छवि का आयाम: लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई)।

ग. धुंधले/लघु हस्ताक्षरों वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। तथापि, आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रक्रिया के माध्यम से जमा किए गए अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ. हस्ताक्षर क्षैतिज रूप से संरेखित होने चाहिए।

ङ. स्वीकृत और अस्वीकृत हस्ताक्षरों के नमूने अनुबंध-V (2/4) में दिए गए हैं।

20. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो “I agree” चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

21. अपने द्वारा दी गई जानकारी का अवलोकन करें और उसका सत्यापन करें । यदि आप किसी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो ‘Edit/Modify’ बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले अपेक्षित संशोधन करें । जब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है, तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापित करें और आवेदन जमा करें । ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात आप ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।

22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गई है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

23. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, या रूपे डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन मोड द्वारा जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 8 का संदर्भ लें ।
24. जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा और आवेदन की स्थिति 'आवेदन प्राप्त (विषयवस्तु सत्यापित नहीं)' के रूप में इंगित की जाएगी। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए।।

ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्क्रीनशॉट्स

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




Online Application Form
Constable (Executive) Male and Female in Delhi Police Examination, 2025
Instructions to follow

- Read the [Notice of Examination](#) carefully.
- Please be careful and provide correct details in the Online Application Form.
- For applying, the candidate is not required to have a pre-existing photograph of himself/ herself. The Online Application Module has been designed to capture a photograph of the candidate filling up the Online Application Form. For this purpose, the candidate has to stand/ sit before the camera when prompted by the application module and follow the instructions.
- The photograph can be captured using a webcam or smartphone.
- The candidate should also have a scanned copy of his/ her signature in JPEG/ JPG format (10 to 20 KB). Image dimension of the signature should be about 6.0 cm (width) x 2.0 cm (height). Online Application Form with blurred/ miniature signature will be rejected.
- Fee can be paid only through online payment modes, namely BHIM UPI, Net Banking, or by using Visa, Master Card, Maestro, or RuPay, Debit Card.

- कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें।
- आवेदन करने हेतु, अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मॉड्यूल को आवेदनपत्र भरने वाले अभ्यर्थी का फ़ोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी को मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़े होना/ बैठना होगा और निर्देशों का पालन करना होगा।
- फ़ोटो वेबकैम अथवा स्मार्टफोन का प्रयोग कर खींचा जा सकता है।
- अभ्यर्थी को जेपीईजी / जेपीजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रति भी रखनी चाहिए। हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 6.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊँचाई) होना चाहिए। धुंधले/लघु हस्ताक्षर वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड के ज़रिए, यथा भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो अथवा रूपे, डेबिट कार्ड का प्रयोग करके ही किया जा सकता है।

Fill Form >


Staff Selection Commission
Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586242

Last updated on Jun 13, 2025

क.अभ्यर्थी की जानकारी:

1.1 व्यक्तिगत विवरण

Feedback SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
Personal Details

2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
Post Details

3 Upload Documents

4 Preview Form

5 Submit Form

Candidate Dashboard > Post Details

Personal Details

Note: Information in columns at S No-1 to 18 will be filled automatically from your One-time Registration Data which is non-editable. However, if you want to modify any of the One-time Registration details, click on 'Edit Registration Details' button provided at the right-hand top corner of 'Candidate Dashboard' and make suitable corrections before proceeding further.

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)
2. New / Changed Name:
3. Father's Name:
4. Mother's Name:
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):
6. Age as on 01/01/2025:
7. Gender:
8. Category:
9. Whether a Person with Benchmark Disability (PwBD):
undefined
9.1. If Yes, Type of Disability:
10. Nationality:
11. Visible Mark of Identification:
12. Matriculation (10th Class) Examination Board:
13. Matriculation (10th Class) Year of Passing
14. Matriculation (10th Class) Roll No.:
15.1. Permanent Address:
15.2. State:
15.3. District:
15.4. PIN Code:
16.1. Correspondence Address:
16.2. State:
16.3. District:
16.4. PIN Code:
17. Email:
18. Mobile Number:

Next

1.2 शैक्षिक विवरण:

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

← Candidate Dashboard > Education Detail

Education Details

19. Highest Educational Qualification: *

Select

Essential Qualification

20. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Select

Please refer to Para 5.11 (ESM) and Para 7 of the Notice of Examination

20.1. EQ Status: *

Select

20.2. Passing Year: *

Select

20.3. State/ UT of Board: *

Select

20.4. Name of Board: *

Select

20.5. Roll Number: *

Enter roll no here...

20.6. Percentage:

Enter percentage here...

20.7. CGPA:

Enter CGPA here...

Go Back Save & Next

1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

ख. अतिरिक्त विवरण :

2.1 अतिरिक्त विवरण-I:

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Additional Information-I

Additional Information-I

21. Do you possess OBC Category certificate notified in the Central list or by the Govt. of NCT of Delhi? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 6.2

☒ Yes ☐ No

22. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? *

☐ Yes ☒ No

23. Whether eligible for special quota as ESM for Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 3.1

☒ Yes ☐ No

24. Are you a Departmental Candidate of Delhi Police? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.5

☒ Yes ☐ No

Verify whether you are a Departmental Candidate of Delhi Police:

☒ Yes ☐ No

25. Whether a widow/ divorced/ judicially separated woman? *

☐ Yes ☐ No

26. Whether son/ daughter of serving, retired or deceased personnel/ Multi Tasking Staff of Delhi Police? *

☒ Yes ☐ No

27. Have you represented a State at the National level or the country at the international level in sports during the preceding 3 years from the closing date of receipt of Online Application Form? *

☒ Yes ☐ No

27.1. Please select the discipline of your sport: *

Archery

28. Whether seeking Age Relaxation? *

☒ Yes ☐ No

Note: In case no age relaxation is applicable, please select 'No'.

28.1. If Yes, Age Relaxation Code: *

Select

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 5.1

Go Back Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586264

Last updated on Jun 13, 2025

2.2 अतिरिक्त विवरण-II:

Feedback | SSC Old Website

Government of India
Staff Selection Commission

← Candidate Dashboard > Additional Information-II

Additional Information-II

29. Preference of Examination Centres: *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 11.1

Preference 1:

Select

Preference 2:

Select

Preference 3:

Select

30. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 10.1

☒ Yes ☐ No

Verify whether you are a NCC Certificate holder:

☒ Yes ☐ No

30.1. Type of the NCC Certificate *

Select

Confirm Type of NCC Certificate:

Select

31. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by the Rashtriya Raksha University (RRU)? *

Please refer to the Notice of Examination, Para No. 7.8

☒ Yes ☐ No

31.1. Indicate the name of the class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: *

Select

Go Back Save & Next

Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links

- Archives
- Disclaimer
- Sitemap
- Help
- Website Policies
- Web Information Manager

Contact Us

Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586264

Last updated on Jun 13, 2025

ग. हस्ताक्षर एवं फोटो अपलोड करना :

Feedback | SSC Old Website


Government of India
Staff Selection Commission




1 Candidate Information
Personal Details
Education Details
2 Additional Information
Additional Information-I
Additional Information-II
3 Upload Documents
4 Preview Form
5 Submit Form

← Candidate Dashboard > Upload Photograph & Signature

Upload Photograph & Signature

To download the app from the play store, scan the below QR code



2. Capture Your Photograph

Instructions:

- Find a place with good light and plain background.
- Ensure the camera is at your eye level before capturing the photo.
- Position yourself directly in front of camera and **look straight**.
- Ensure that your **face is fully inside the red rectangular area** delineated by the camera and that it is neither too close nor too far. It should cover the area fully and no part of the face should be outside the rectangle.
- Candidates **shouldn't wear a cap, mask or glasses / spectacles** while capturing the photo.
- In no case should the candidate capture the photographs of his/her pre-existing photograph. All such applications where the photographs of his/her pre-existing photograph is captured will be rejected.
- Do not wear earphones or any device while capturing photo.**

 Capture Live Photo

3. Upload Your Signature *

Instructions:

- Please read the advisory to Candidates with respect to photo and signature and common causes of rejection.**
[Click here to read](#)
- Allowed image size: 10 KB to 20 KB in JPEG / JPG format.
- Image dimensions: about 6.0 cm (width) X 2.0 cm (height) at a resolution of 300 DPI.
- Application with blurred / miniature signature will be rejected.
- Signature should be horizontally aligned.

 Upload Signature

Go Back Save & Next


Staff Selection Commission

Public Disclosure of Scores and Other Details of Non-Recommended Willing Candidates

Useful links
Archives
Disclaimer
Sitemap
Help
Website Policies
Web Information Manager

Contact Us
Block No-12, CGO Complex,
Lodhi Road New Delhi

© 2024 SSC. All Rights Reserved

Total Visitor Count: 124586243

Last updated on Jun 13, 2025

सेवारत रक्षा कर्मियों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____
(रैंक) _____
(नाम) _____ (दिनांक) _____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की
विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं अनुक्रमांक परीक्षा,
20..... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय मेंपद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का पात्र नहीं हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:

Instructions to Candidates for uploading of signatures

- 1) The major reasons for rejection of signatures are “miniature” signatures. Candidates are advised to cut the box and then sign within the box such that signature occupies at least 80% of the box.



Cut the box & Sign within the box

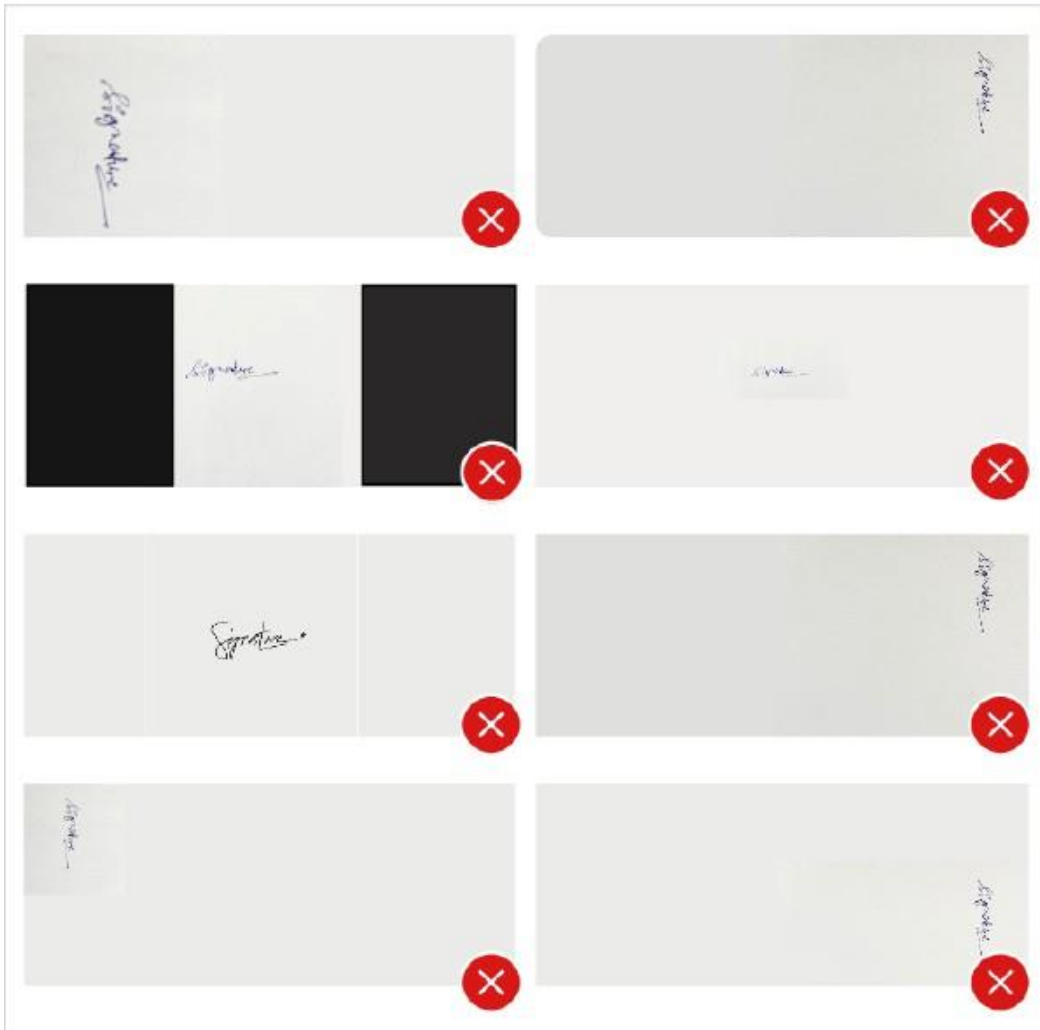
- 2) Samples of acceptable and rejected signatures are provided on the next page(Pg No 2). Candidates are advised to review these examples to understand which signatures will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Signature

1. Good For Approval



2. Rejected



3) The major reasons for rejection photographs are :

- (i) Photo without plain background.
- (ii) Candidates wearing caps
- (iii) Candidates taking photos without shirts.
- (iv) Photo not sufficiently bright.
- (v) Photo is blurred

Candidates are advised to follow the instructions while capturing the photo that is displayed on the Website especially ensure plain background and photo is captured in well-lit area.

4) Samples of acceptable and rejected photographs are provided on the next page (**Page No 4**). Candidates are advised to review these examples to understand which photographs will be accepted by the Commission and which ones may be rejected.

Photograph

1. Good For Approval



2. Rejected



अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
 संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
 संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
 संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
 संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
 संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
 संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के पिता/माता श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ में रहता है ।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:-

यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

**

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____
ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से
संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं _____
दिनांक _____ के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुं _____
तथा/या उनका परिवार सामान्यतः _____ राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के _____ जिला/संभाग में
रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के
कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** के कॉलम 3 में उल्लिखित
व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:

उपायुक्त इत्यादि

मुहर:

*-प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

**-समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
 _____स्थायी निवासी _____गाँव/गली _____ डाकघर
 _____ जिला _____ राज्य/संघ राज्य-
 क्षेत्र _____ पिन कोड _____ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है,
 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष के लिए उनकी /उनके 'परिवार' **
 की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास
 निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ का संबंध _____ जाति से है
 जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता
 प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी के हाल ही का
 पासपोर्ट आकार का
 अनुप्रमाणित फोटोग्राफ

नाम

पदनाम.....

* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है ।

खेल/खेलों के खिलाड़ी आयु में छूट के पात्र हैं

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रियाथलोन
21. वॉलीबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

पासपोर्ट आकार का
फोटो जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
सहित

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----के खेल में -----का राज्य संघ

(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री-----
----- श्री-----, जन्मतिथि-----निवासी-----
----- (पूर्ण पता)-----राष्ट्रीय प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----
----- में दिनांक-----से -----तक आयोजित-----
-----खेल/प्रतियोगिता में ----- राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

नाम-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

पासपोर्ट आकार का
फोटो जारी करने
वाले अधिकारी के
हस्ताक्षर सहित

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----का राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ

(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----- पुत्र/पत्नी/पुत्री-----

----- श्री-----, जन्मतिथि-----निवासी-----

----- (पूर्ण पता)-----प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----

----- में दिनांक-----से -----तक आयोजित-----

-----खेल/प्रतियोगिता में ----- भारत देश का प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी _____ पुत्र/ पुत्री/
पत्नी _____ श्री _____, गाँव _____, तहसील/तालुका _____
_____ जिला _____ राज्य _____ के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

* वह पहाड़ी क्षेत्र अर्थात गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा, डोगरा, मराठा का/की निवासी है और और अभ्यर्थी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी/ कश्मीर क्षेत्र, जम्मू और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

* वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग या सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक के
अभिभावक होने का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम)
रैंक _____ रैंज/ कॉन्स्टेबलरी संख्या. / पीआईएस संख्या. _____ जिला/ ईकाई में/से दिनांक
को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ _____ से _____ हैं। उनकी /उनका पुत्र
_____ (नाम) दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष भर्ती परीक्षा, 2022 में
अनंतिम रूप से भाग लेना चाहता है।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती _____ (पुलिस कार्मिक का नाम), रैंज/ कोंस्टेबलरी/ बेल्ट संख्या. _____ और पीआईएस संख्या. _____ दिल्ली पुलिस में दिनांक. _____ को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में _____ दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष भर्ती की परीक्षा में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये दिनांक _____ को परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरी कर चुके हैं और अपनी सेवा के दौरान इन्हें बड़ी शास्ति और छोटी शास्ति दी गई है। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है (अगर है तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

संबन्धित जिला/ इकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर

(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक:-----

टिप्पणी:- “विभागीय अभ्यर्थी” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि (अर्थात् 29.07.2022)** तक दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की है और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक एवं अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक/10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी.ए.	05
बी.ए.(आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी.एससी.	09
बी.एससी. (आनर्स)	10
बी.एड.	11
एल.एल.बी.	12
बी.ई.	13
बी.टैक.	14
ए.एम.आई.ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी.एस.सी. (इंजी)	16
बी.सी.ए.	17
बी.बी.ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना,वायु सेना,नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी.फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी.जी. डिप्लोमा	24
एम.ए.	25
एम.कॉम.	26
एम.एससी.	27
एम.एड.	28
एल.एल.एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31

एम.एससी. (इंजी.)	32
एम.सी.ए	33
एम.बी.ए	34
अन्य	35

अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सूचना, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति(प्रतियों)
सहित

1. शुरुआती ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले परिवहन प्राधिकारी का नाम:-

2. शुरुआती ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और चलाने के लिए अधिकृत वाहन का प्रकार :-

3. भारी मोटर वाहन / भारी परिवहन वाहन के लिए प्राधिकरण/अनुमोदन का दिनांक

4. वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

5. दिनांक _____ से _____ तक मान्य ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम : _____

अनुक्रमांक सं. _____

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष